न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 60/2016 – निगरानी

लादूलाल पिता अम्बालाल बनाम भलावत अध्यक्ष श्री ऋषभ जैन श्वेताम्बर मंदिर बदनोर तहसील बदनोर, भीलवाड़ा

–निगराकार

1. सुमन कुमार पिता रामबक्ष राजपूत निवासी बदनोर तहसील बदनोर , भीलवाड़ा
2. बलवंतसिंह पिता रामबक्ष राजपूत निवासी बदनोर तहसील बदनोर , भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत बदनोर जरिये सरपंच

– गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत बदनोर दिनांक 5–4–2013 जिसके द्वारा पत्रावली सं. 83/2012–13 में आवासीय भूमि का पट्टा विलेख दिनांक 13–4–2013 को जारी किया निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधि. 1994

उपस्थित –

1. श्री दिनेश शिशोदिया अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. रमेशचन्द्र सारस्वत एवं उदयलाल जाट अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 1 व 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.09.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बदनोर में ऋषभदेव जैन मंदिर से लगा हुआ भैरूजी देव का देवस्थान है। जिसके पास लगी हुई भैरूदेव की पोषाल है, जो भूखण्ड के रूप में होकर उसमें एक कच्ची ओवरी देवस्थान का सामान रखने के लिये बनी हुई है। विपक्षी सुमन कुमार व बलवंतसिंह ने गुपचुप तरीके से उक्त पोषाल वाले भूखण्ड का सनद पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत बदनोर में दिनांक 5–1–2013 को एक प्रार्थनापत्र पेश किया कि ग्राम बदनोर में स्थित आबादी भूमि में पैतृक भूखण्ड का हमारे नाम पर पट्टा बनाया जाये। विपक्षी सुमन कुमार के उक्त प्रार्थनापत्र पर ग्राम पंचायत बदनोर ने पत्रावली सं. 83/2012–13 दिनांक 5–1–2013 को दायर की। पंचायत के कोरम ने सचिव को इस भूखण्ड का नक्शा बनाकर आगामी कोरम में पेश करने का आदेश दिया। इस नक्शे में वार्ड पंचों के

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

हस्ताक्षर क्यों कराये गये इसका स्पष्टीकरण इसमें नहीं दिया गया है। तत्पश्चात् पंचायत ने वार्ड पंच तेजमल खटीक, रूस्तम अली व दुर्गासिंह की मौका निरीक्षण हेतु समिति गठित की जिसने आगामी कोरम दिनांक 5–3–2013 में अपनी रिपोर्ट पेश की कि प्रार्थी का उक्त मकान पुश्तैनी है जिस पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है व 50 वर्षों से प्रार्थी सपरिवार इसमें निवास कर रहा है किन्तु इस निरीक्षण समिति ने जिस जगह का मौका देखकर रिपोर्ट पेश की उसमें वर्णित पड़ौस सुमनकुमार द्वारा दिनांक 5–1–2013 को दिये गये पड़ौसों से मेल नहीं खाते हैं और ये पड़ौस उस प्रार्थनापत्र से सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थनापत्र से भिन्न दूसरी जायदाद का निरीक्षण करना सर्वथा अवैधानिक व नियमों से परे है। समिति ने पंचायत नियम 1996 की अवहेलना की है। मौका निरीक्षण हेतु उक्त तीन वार्ड पंचों की समिति ही गठित की गयी थी तो उसमें प्रताप खटीक व लक्ष्मणसिंह का मय सरपंच के मौका देखने जाना नितान्त गलत है। इससे यही सिद्ध होता है कि सरपंच गोपालसिंह येनकेन सुमनकुमार व बलवंतसिंह को नाजायज लाभ पहुंचाना चाहता था। प्रार्थी व दो गवाहों के शपथपत्रों के आधार पर प्रार्थी का उक्त मकान पर 50 वर्ष से अधिक का कब्जा होने के कारण नियम 157 के तहत कुल 1018.875 वर्गफीट मकान के भूखण्ड का पुराने गृह का विनियमितिकरण करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जाती है। खाली भूखण्ड का पट्टा नियम 157 के तहत जारी किया ही नहीं जा सकता है। नियम 157 के तहत तो पुराने आवासगृह का विनियमितिकरण करने का प्रावधान है। किसी अन्य व्यक्ति या देवालय की भूमि का पट्टा सुमनकुमार विपक्षीगण के नाम पर किसी भी अवस्था में जारी नहीं किया जा सकता है। ऋषभदेव मंदिर का जैन समाज ने जीर्णोद्धार कराया था जिसकी बची हुई सामग्री खंभे मेहराबें भी भैरूजी देव के इस पोषाल में रखी हुई थी। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी करने के पूर्व इस भूखण्ड के मिल्कीयत के दस्तावेजों को विपक्षीगण से न तो प्राप्त किया और न ही उन्हें पत्रावली में लगाया और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 141 से 160 तक की कोई पालना नहीं करते हुए विपक्षीगण को देवस्थान की भूमि का जो पट्टा जारी कर दिया है वह सरासर विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। निगराकार को सर्वप्रथम जानकारी आज से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

पटटे की वैधता एवं अवैधता के बारे में निर्णय किया जा सकता हैं। उक्त निगरानी कथित समिति के अध्यक्ष द्वारा पेश किया जाना अंकित होता हैं, किन्तु कौनसी समिति का कौनसा अध्यक्ष हैं ? इसका कोनसा रजिस्ट्रेशन नंबर हैं? कौनसे संविधान के अंतर्गत समिति बनायी गयी? इस समिति के अध्यक्ष के क्या कार्य हैं? ऐसा कोई दस्तावेज निगरानी पर प्रस्तुत नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि यह निगरानी बेबुनियाद, आधारहीन, तथ्यहीन हैं तथा उक्त निगरानी बेवजह गैर निगराकार संख्या 01 व 02 को परेशान करने की गरज से व प्रश्नगत पटटा भूखण्ड को हड़पने की नीयत से पेश की हैं, जो कतई न्यायोचित नही है तथा निगराकार को पट्टा निरस्त कराने का कोई अधिकार नही है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी मय विशेष हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने का आदेश पारित फरमाया जावें।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बदनोर की मिसल पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर रखी हैं। जिस अनुसार पाया गया कि प्रार्थी सुमन कुमार व बलवन्त सिंह के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल संख्या 83/2012–13 दिनांक 05.01.2013 कायम की गयी। ग्राम पंचायत द्वारा 3 वार्ड पंचों की कमेटी बनाकर, मौका निरीक्षण पत्र तैयार किया गया।

ग्राम पंचायत द्वारा नजरी नक्शा तैयार कर, आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत प्रश्नगत पटटा जारी किया जो विधि सम्मत होकर त्रुटि रहित प्रतीत होता हैं।

निगराकार ने निगरानी मेमों में पटटा वाले आवासीय भूखण्ड को जैन मंदिर से लगा हुआ भैरूजी देव स्थान को होना बताया हैं, किन्तु निगराकार ने ऐसा कोई प्रमाणिक दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया जिससे जाहिर हो सके की उक्त प्रश्नगत पटटे का आवासीय भूखण्ड देवस्थान का ही हो।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

कार्यालय ग्राम पंचायत बदनोर के पत्रांक/ग्रा.पं. बदनोर/54/2021 दिनांक 20.12.2021 के स्वामित्व प्रमाण पत्र अनुसार भी उक्त प्रश्नगत पटटा विपक्षी संख्या 01 व 02 के नाम जारी किया जाना बताया गया हैं। जिसकी रजिस्ट्री ग्राम पंचायत बदनोर द्वारा करायी गयी। उक्त पत्रानुसार उक्त भूखण्ड पर जैन समाज का कोई खम्भा मेरात तथा खण्डर नहीं हैं।

पत्रावली परीक्षण से होता हैं कि निगराकार ने उक्त निगरानी प्रश्नगत पटटे वाले आवासीय मकान पर स्वामित्व संबंधी ऐतराज कर पटटा निरस्तीकरण हेतु निवेदन किया हैं, जबकि निगराकार को उक्त प्रश्नगत पटटा भूखण्ड के स्वामित्व बाबत् कोई उजर ऐतराज है तो वह सक्षम न्यायालय (सिविल न्यायालय) की शरण लेवें। इस न्यायालय द्वारा पटटे की वैधता एवं अवैधता के बारे में राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत प्रकरण में निर्णय किया जा रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने उक्त प्रश्नगत पटटा राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत मिसल पत्रावली कायम कर विधिवत् जारी किया गया, जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी सारहीन एवं आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी पत्रावली संख्या 83/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2013 व इस आदेश के तहत जारी किये पटटा दिनांकित 13.04.2013 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बदनोर पंचायत समिति बदनोर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा